न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2 / 156 / 2019 दायर दिनांकः— 20 / 09 / 2019

जीसीएमएस नंः— 2019 / 00347 निर्णय दिनांकः— 30 / 10 / 2025

बउनवान

1. चौखी पुत्र होतीराम जाति हैबासी ब्राहमण निवासी लाठकी
2. श्यामसुन्दर पुत्र होतीराम जाति हैबासी ब्राहमण निवासी लाठकी तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

1. रवि पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी लाठकी तहसील कठूमर सरपंच ग्राम पंचायत बसेठ पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर
2. गोपाल पुत्र नामालुम जाति जाट निवासी भौसिंगा तहसील नदबई जिला भरतपुर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः—श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेट— अधिवक्ता सायलान

—::निर्णय::—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 0.64 हे0 ग्राम लाठकी तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी सायलान की बहिस्सा बराबर खातेदारी की आराजी है। जिसका लगान सायलान अदा कर रहे है तथा मौके पर संयुक्त कब्जे काश्त में है। गैरसायलान ने सायलान के घर में घुस कर मारपीट की थी जिस घटना वावत सायलान ने गैरसायलान के विरूद्व थाना कठूमर पर एफ आई आर दर्ज करवाई हुई है। इसी रंजिश की वजह से विवादित आराजी के तरफ पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

में कायम एंव जारी रास्ता में सडक न डालकर गैरसायलान सायलान की विवादित आराजी से जवरन वेदखल कर सडक डालने को उतारू है। गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम एक दो दिन में जे सी वी लाकर तुम्हें विवादित आराजी से जवरन वेदखल कर सडक डलवायेगें जवकि गैरसायलान को सायलान की खातेदारी की आराजी सायलान को जवरन वेदखल करने व सडक डालने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री मुकेश एडवोकेट ने दिनांक 30.05.2023 को अण्डरटेकिंग दी थी लेकिन गैरसायलान की ओर से बास्ते पैरवी मुकदमा वकालतनामा पेश नहीं करने की वजह से गैरसायलान की दिनाक 23.06.2024 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम लाठकी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

प्रथम दृष्टा केसः–हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (अलवर) राज०

अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिससे गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन गैरसायलान जवरन विवादित आराजी से सायलान को वेदखल कर खुद कब्जा कर सडक निकालना चाहते है गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है गैरसायलान मना करने से नही मान रहे है। हमने पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत जमाबन्दी संवत्2075 से 2078 का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता सायलान की वहस पर मनन किया। हाल जमाबन्दी में विवादित आराजी सायलान की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपनी ओर से किसी तरह का उज्र व एतराज पेश नहीं किया है। गैरसायलान को सायलान की खातेदारी की आराजी में होकर सडक निकालने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान ने सायलान की आराजी में होकर सडक निकाल दी प्रथम दृष्टा सायल को नुकशान होना संभव है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टा केस सायलान के पक्ष में सावित है। अतः प्रथम दृष्टा केस का विन्दु सायलान के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलनः—विवादित आराजी सायलान की खातेदारी में दर्ज है जिससे गैरसायलान का बास्ता नहीं है। यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी में होकर सडक निकाल दी तो सायल को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः—विवादित आराजी सायलान की खातेदारी में दर्ज है जिससे गैरसायलान का बास्ता नहीं है। यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी में होकर सडक निकाल दी तो सायलान को असुविधा होना संभव है। इससे वाद वहुलता भी बढेगी। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व छाया प्रति वयनामा का अवलोकन किया। अधिवक्ता सायल की बहस पर मनन किया उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सावित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायलान के पक्ष में सावित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को आराजी खसरा नम्बर 254 रकवा 0.64 हे0 ग्राम लाठकी तहसील कठूमर के मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है तथा पत्रावली पर प्रभावी स्टे आदेश दिनांक 20.09.2019 कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०